CH.JEEVAN SINGH MEMORIAL MAHAVIDHALYA

SAROL ,TAPPAL ,ALIGARH

NO-001

2024-25

विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन -पत्र

Website; www.cjmm.org.in

Email:attri.shyam82@gmail.com,chjsmm2320@gmail.com

University Website:www.rmpssu.ac.in

मूल्य 100 रुपये

Scanned with OKEN Scanner

प्राचार्य संदेश

A number of small tasks can bring in big success. We Ch. Jeevan Singh Memorial Mahavidhalya, strive for the growth & excellence of our students. We believe that good and quality education forms a foundation for molding their careers and to help them become a responsible citizens. We understand that our contributions to their lives can shape their destiny as well as that of our future generations.

The success story of our organization would be incomplete without the mention of our dedicated staff members who perform with the sole objective of delivering quality education. Our team of teachers, supporting staff have played a pivotal role in the progress of our institution. Their valuable guidance and support have ensured consistent growth for our students and the institution as a whole. Today we are a premier educational institution producing highly talented Teachers, Professors. We must ensure that we continue to work relentlessly in the coming years to better the reputation we have earned in the educational circle.

Hard Work and Success are the watch-words of this institution

Dr.BRHAM JIT SINGH

(PRINCIPAL)

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत महाविद्यालय में कला-संकाय, विज्ञान संकाय व वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक उपाधि हेतु प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित विषयों में से चयन करना होगा।

विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में एक संकाय, कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य मेजर विषयों का चुनाव करना होगा, जिसका आवंटन महाविद्यालय में मैरिट, उपलब्ध की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष प्रथम से छठे सेमेस्टर तक अथवा पांच वर्ष स्नातक व परास्नातक तक अध्ययन कर सकेगा।

इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से हो सकता है। इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय पर अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव – बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होगी।

तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से हो। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक-एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।

कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

कौशल विकास/रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का चुनाव – प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4=12 केडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development) पूर्ण करना होगा।

अनिवाय सह पाठ्यक्रम – स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम 40 प्रतिशत अंकों के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं

प्रथम सेमेस्टर : भोजन, पोषण और स्वच्छता द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा और योग
पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता

कला संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु विषय 1. हिन्दी 2. अर्थशास्त्र 3. इतिहास 4. अंग्रेजी

विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि हेतु विषय 1. भौतिकी 2. गणित

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश प्रक्रिया

प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी महाविद्यालय कार्यालय से आवेदन हेतु विवरणिका सहित आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं।

स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर कार्यालय में जमा कराना होगा। अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति के समक्ष प्रवेशार्थी को समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश अनुमोदित करने के पश्चात् विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर प्रवेश पा सकता है। प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनायें महाविद्यालय के सूचनापट पर ही अंकित की जायेंगी।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को संलग्न करने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण माना जायेगा।

1. हाईस्कूल तथा इण्टर की उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक पत्रों तथा प्रमाण पत्रों की स्वयं हस्ताक्षरित (अभिप्रमाणित) छाया प्रति।
2. अन्तिम विद्यालय के चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति।
4. पासपोर्ट साइज के पांच नवीनतम रंगीन फोटो।
5. आरक्षित वर्ग हेतु जाति एवं आय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. खेलकूद/एन.सी.सी. संबंधी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति।
7. दिव्यांग/स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित/सुरक्षा सेवा कर्मचारी के आश्रित/विश्वविद्यालय कर्मचारी के आश्रित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति होने की स्थिति में तत्सम्बन्धी।

प्रमाण-पत्रों की **(फोटो प्रतिलिपियाँ)** संलग्न न होने पर न तो उनका लाभ मिलेगा और न ही बाद में स्वीकार्य होंगे।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थी अर्ह परीक्षा की अंकतालिका प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर महाविद्यालय के निर्धारित आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित तिथि पर शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

नोट – विश्वविद्यालय के कार्यक्रम तिथियों में परिवर्तन सम्भव है।

Scanned with OKEN Scanner

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2022–23

निम्नांकित नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा, जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा मा0 कुलपति महोदय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश – वैश्विक महामारी कोविड–19 को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश किये जायेंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरणिका ''प्रोस्पेक्टस'' तैयार करायेगा जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्वन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण–पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2022–23 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग केटेगरी के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे। दिव्यांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(स) सम्वन्धित महाविद्यालय में विवरण–पुस्तिका निर्धरित नियमानुसार एवं आवेदन पत्र निर्धारित मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है।

(द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक/छात्र–छात्राओं को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण–पुस्तिका में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की बेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

2. (अ) सत्र 2022–2023 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम'' में प्रवेश दिये जायेंगे। यदि छात्र अन्य किसी वर्ष में उक्त पाठ्यक्रमों के किसी विषय में प्रवेश लेना चाहे तो पत्राचार पाठ्यक्रम में, केवल उन विषयों में जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, प्रवेश ले सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

(ब) तीनों संकायों में स्नातक प्रथम वर्ष के आवेदन हेतु अन्तिम तिथि नोटिस बोर्ड पर घोषित होगी तथा शुल्क आदि जमा करके प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि प्रवेश समिति के निर्णयानुसार होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश अन्तिम तिथि के पश्चात नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित न हुआ हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक सम्बन्धित कक्षा में स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश ले सकेंगे।

3. (अ) प्रवेश सूची योग्यता अंक सहित महाविद्यालय 'नोटिस बोर्ड' पर लगा दी जायेगी। छात्र-छात्रा तदनुसार प्रवेश ले सकेंगे।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय / तृतीय /चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य कारणों से प्रतिबन्धित न हो।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के लिए महाविद्यालय में चल रहे विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

(ब) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र-छात्रा संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने हेतु अर्ह नहीं होंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(द) ऐसे सभी छात्र-छात्रा जिन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल.एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(य) कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

"यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिससे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने में रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा न हो।"

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की विवरण पुस्तिका के अध्याय – 19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश – 2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे।

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act. the Principal

Scanned with OKEN Scanner

shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the university. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1.यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षण संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

2.यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो। या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5. (अ) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी–

(1) बी.एस–सी. फिजीकल साइंस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(2) बी.एस–सी. लाइफ साइंस के लिए इण्टरमीडिएट बायोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(3) बी.एस–सी. (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलाजी अथवा गणित उत्तीर्ण।

(4) बी.ए./बी–काम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण।

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एस.सी (कृषि)/बी. एस.सी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।

(स) स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे –

(i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से, सम्बद्ध महविद्यालयों एवं उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेज से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कालेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल तथा डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा जिन छात्रों ने 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कालेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल तथा डा. बी.आर. अंम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के महाविद्यालयों में उत्तीर्ण

की हो। किन्तु एम.एस-सी. कृषि के प्रवेश के लिये हाईस्कूल की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल से उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(ii) शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी.आई 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग-2 तथा 3 मे रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी। सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हों तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों ऐसे समस्त विदेशी छात्रो को जिन्हें सम्वन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(अ) अधिष्ठाता – छात्र कल्याण

(ब) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य चक्रानुसार

(स) एस.एन. मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा नामित – मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोपित महविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश ('प्रोवीजनल' भी) नहीं देगा।

(द) स्नातक समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(य) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना –

6. (क) स्नातक कक्षायें :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1.इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
2.स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

Scanned with OKEN Scanner

पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए दिए जायेंगे।

2. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से उत्तमा (साहित्यरत्न) की त्रिवर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय से केवल एम.ए. के हिन्दी विषय में प्रविष्ट हो सकते है अथवा उस विषय में हो सकते हैं जिसमें विश्वविद्यालय की बी.ए. की परीक्षा (सामान्य अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण कर ली हो।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंक के साथ निम्नलिखित अंकों, जहां अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

1.	क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रवेशार्थी	5 अंक
2.	एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी–2 उतीर्ण कैडिटों को	8 अंक
	अथवा	
	एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक कैडिटों को	6 अंक
	अथवा	
	एन.सी.सी. केडिटों जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है एवम् 2 कैम्पो में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।	3 अंक
3.	स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)	5 अंक
4.	राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को	5 अंक

5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) स्नातक कक्षायें :

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रवेशार्थी — 5 अंक

2. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण कैडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन.सी.सी. 'बी' सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक कैडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है एवं 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

3. एन.एस.एस. में 240 घण्टे कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए — 5 अंक

4. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। — 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो। — 5 अंक

नोट– उपर्युक्त 1 से 4 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउंसिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित / एन. सी.सी. अधिकारी / एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :

1. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्वावित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी / अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारी के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री — 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री (अविवाहित) — 10 अंक
3. कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। — 17 अंक

टिप्पणी– 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट- किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जायेगा, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यत: स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में विश्वविद्यालय नियमानुसार उपलब्ध स्थानों पर ही महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी।

(द) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्नपत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।

(स) एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में छात्रों का स्थानान्तरण सम्बंधित प्राचार्य की सहमति से सरकारी शिक्षक एवंम् कर्मचारी वार्डों को सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण अनुमन्य हो सकता है एवं शेष सभी छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है।

(द) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।

(य) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सबंध में निरन्तर

Scanned with OKEN Scanner

सम्पर्क करता रहे और सूचना पट्ट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन 'अप टू डेट' जानकारी रखे, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सके।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य संबंधित नियमों को भली भांति पढ़ ले। उनका यह भी दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ, उनका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है, नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश को विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी का होगा।

विशेष

परिचय-पत्र एवम् पुस्तकालय कार्ड

पुस्तकालय कार्ड पर टिकट साइज फोटो चिपकाने हेतु निर्दिष्ट स्थान पर गोंद से फोटो चिपकायें। फोटो 6 माह से अधिक पुराना न हो और सभी फोटो एक समान हों। अन्यथा की स्थिति में फार्म निरस्त किया जा सकता है।

सूचना

सूचना का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम महाविद्यालय का सूचना पट्ट होगा। शिक्षार्थी अथवा अभिभावक यहीं से सूचनाऐं प्राप्त कर सकते हैं।

प्रवेश सम्बन्धी विशेष नियम

विशेष:

स्नातक एवम् स्नातकोत्तर किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश शासन / राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्राप्त अद्यतन 4नियमों के अनुसार ही प्रवेश दिए जाएंगे।

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ एवं सुविधायें

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु नियमानुसार उपलब्ध ऐच्छिक क्रिया-कलाप सम्बन्धी सुविधायें निम्नवत हैं :-

N.S.S. (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 100 स्वयंसेवक/सेविकाओं की एक इकाई कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में कार्यरत हैं। दैनिक कार्य रूप के साथ ही इसमें सात-दिवसीय विशेष शिविर भी आयोजित किया जाता है। एन.एस.एस. प्रमाण पत्रों से बी.एड.. एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश में प्रतिभार प्राप्त होता है। इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा रा.से.यो. अधिकारी से सम्पर्क किया जाना अपेक्षित है।

क्रीड़ा प्रांगण

महाविद्यालय के क्रीड़ा प्रांगण में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सामान्य खेलों यथा क्रिकेट / कबड्डी / बैडमिन्टन / बालीबाल आदि की व्यवस्था है एवम् कॉलेज में अपना सुव्यवस्थित जिम स्थापित है। महाविद्यालय में वार्षिक क्रीड़ा समारोह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया जाता है।

रोवर्स रेन्जर्स

महाविद्यालय में रोवर्स – रेन्जर्स हेतु पृथक – पृथक एक-एक ग्रुप की सुविधा के लिए प्रयास किया जा रहा है। रोवर्स रेन्जर्स ग्रुप लीडर्स (प्रभारी प्राध्यापक) से इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा सम्पर्क किया जाना अपेक्षित है।

विषय परिषद

महाविद्यालय में अध्यापित विषयों की परिषदें सम्बन्धित विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं बौद्धिक उत्थान हेतु गठित होती हैं, जो समय-समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं यथा निबन्ध, वाद-विवाद , पोस्टर, क्विज व प्रोजेक्ट वर्क आदि का आयोजन करती हैं। वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है और प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय पत्रिका

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करने के उद्देश्य से महाविद्यालय द्वारा 'शुचिता' नाम से एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अपने बौद्धिक विकास, पत्रकारिता व लेखन कला की प्रेरणा प्राप्त होती है।

पुस्तकालय/वाचनालय

पठन-पाठन के लिए महाविद्यालय में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय एवं वाचनालय उपलब्ध है।

साइकिल स्टैण्ड

महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के वाहनों के रख रखाव हेतु स्थान निश्चित किया गया है। जहां विद्यार्थियों द्वारा निजी उत्तरदायित्व पर वाहन खड़ा किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय प्रांगण में किसी भी प्रकार का वाहन चलाना एवं उसका वाहन स्थल के अतिरिक्त कहीं अन्य स्थान पर खड़ा करना पूर्णतया वर्जित है। नियत स्थान के अतिरिक्त महाविद्यालय में अन्य किसी स्थान पर वाहन खड़ा पाये जाने की स्थिति में अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

छात्रवृत्तियाँ

उच्च श्रेणी के प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थियों, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित-जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राज्य की ओर से छात्रवृत्तियों की व्यवस्था उपलब्ध है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित-जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ छात्रवृत्ति के सन्दर्भ में मूल जाति-प्रमाण-पत्र की प्रति एवं सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र मूलरूप में लगाया जाना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

छात्र कल्याण समिति

छात्र-छात्राओं के कल्याणार्थ एक समिति होगी, जिसमें मुख्यशास्ता के साथ तीन महिला/पुरुष प्राध्यापक सदस्य होंगे।

विद्यार्थी परामर्श एवं काउंसलिंग समिति

इसमें मुख्यशास्ता के साथ तीन सदस्य होंगे।

सूचना अधिकारी

प्राचार्य के अनुशंसा के अनुरूप महाविद्यालय का एक सूचना अधिकारी होगा, जो माँगी गयी सूचनाओं को नियमानुसार उपलब्ध करायेगा।

NAAC एवं RUSA समिति

प्राचार्य की अध्यक्षता में मुख्यशास्ता के साथ प्रत्येक संकाय से कम से कम एक प्राध्यापक को सम्मिलित करते हुए एक समिति होगी, जो इसका कार्य देखेगी।

Scanned with OKEN Scanner

परिचय – पत्र

मुख्य शास्ता द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित, उसी शैक्षिक सत्र हेतु मान्य परिचय – पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है। हर समय विद्यार्थी के पास रहना अपेक्षित है। परीक्षा में प्रवेश लेने, कार्यालय में शुल्क जमा करने, प्रमाण पत्रादि प्राप्त करने, आवेदन पत्र अग्रसारित कराने, पुस्तकालय कार्ड व पुस्तकें प्राप्त करने अथवा किसी भी उत्सव/अवसर पर महाविद्यालय अधिकारी प्राध्यापकों द्वारा मांग करने पर विद्यार्थियों द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

परिचय – पत्र खो जाने पर डुप्लीकेट परिचय पत्र प्रार्थना पत्र देने के बाद महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

चरित्र प्रमाण – पत्र

चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वे छात्र होंगे जो महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह अध्ययन कर चुके हों। सामान्यतः चरित्र –प्रमाण – पत्र आवेदन करने के तीसरे दिन दिया जाता है।

उपस्थिति

(क) कक्षाऐं प्रारम्भ होने पर विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक विषय की कक्षा में शुल्क रसीद दिखाकर प्रत्येक विद्यार्थी को नाम लिखाना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

(ख) छात्र/छात्राओं द्वारा लिए गए प्रत्येक विषय में पृथक्-पृथक् 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी आवश्यक है, उक्त प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय नियमानुसार ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर उपस्थिति में छूट दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(ग) उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से की जाएगी, चाहे प्रवेश किसी भी तिथि में लिया गया हो।

(घ) विद्यार्थी की अपनी उपस्थिति अपने पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले प्राध्यापक से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर लेनी चाहिए, यह उसका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

निर्धारित वेशभूषा / गणवेश

छात्राओं के लिए-	सफेद सलवार कुर्ता एवं शीतकाल में ऊपर से काले रंग का कोट/ब्लेजर अथवा स्वेटर।
छात्रों के लिए -	स्लेटी पेन्ट तथा सफेद कमीज तथा शीतकाल में काला स्वेटर या कोट/ब्लेजर

अनुशासन

महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए सभी प्राध्यापकों का एक शास्ता मण्डल होगा। जिनके संयोजक चीफ प्रोक्टर होंगे। यह मण्डल अनुशासन के सभी मामलों में प्राचार्य को अपनी संस्तुति देगा / तथा परिसर में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने में प्राचार्य को अपना सहयोग देगा।

प्रत्येक छात्र/छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कठिनाई / समस्या सम्बन्धित समिति के संयोजक / सदस्य तथा चीफ प्रोक्टर के पास ले जाये तथा किसी भी समस्या के संबंध में सीधे प्राचार्य से सम्पर्क न करें।

यदि कोई विद्यार्थी ऐसे कार्य करता है जिससे महाविद्यालय में पठन-पाठन में व्यवधान पैदा होता है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे छात्र/छात्रा को बिना कोई कारण बताये महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

छात्रों के आचरण एवं व्यवहार के लिए अनिवार्य नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक / पुलिस कार्यवाही की जायेगी तथा तत्काल प्रभाव से उसका महाविद्यालय से निष्कासन कर दिया जायेगा।
2. महाविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी परिसर में पान, गुटखा, मसाला, बीडी-सिगरेट आदि का सेवन नहीं करेगा व इधर-उधर थूककर महाविद्यालय की फर्श और दीवारों को गन्दा नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करते हुए पकडे जाने पर 200 रू. आर्थिक दण्ड व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3 प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन परिसर में अपना परिचय पत्र साथ लायेगा तथा प्राचार्य एवं शास्ता मण्डल द्वारा मांगे जाने पर उसे दिखायेगा।
4. विद्यार्थी प्राचार्य की अनुमति के बिना परिसर में किसी प्रकार की सभा एवं गोष्ठी आयोजित नहीं करेगा।
5. विद्यार्थियों का बाहरी व्यक्तियों को परिसर में लाना एवं उसके साथ घूमना दण्डनीय अपराध होगा।
6. कक्षाओं के अतिरिक्त विद्यार्थी परिसर में इधर-उधर नहीं घूमेंगे। छात्राएँ कक्षा न होने पर छात्राएँ-कक्ष में ही बैठेंगी तथा अनावश्यक इधर-उधर नहीं घूमेंगी।
7. विद्यार्थियों द्वारा परिसर में अस्त्र-शस्त्र लाना, ट्रांजिस्टर या टेप बजाना, जोर-जोर से आवाज लगाना एवं गाना जिससे पढाई में बाधा पैदा हो, वर्जित एवं दण्डनीय है।
8. महाविद्यालय की दीवारों पर कुछ भी लिखना अथवा पोस्टर लगाना वर्जित एवं दण्डनीय है। महाविद्यालय परिसर में मादक वस्तुओं का प्रयोग नितान्त वर्जित है। महाविद्यालय भवन/प्रांगण को स्वच्छ बनाए रखने में विद्यार्थियों की सहभागिता भी आवश्यक है। महाविद्यालय प्रांगण, भवन, व्याख्यान कक्षों, सीढ़ी की दीवारों आदि को गन्दा किया जाना, पान/गुटका आदि की पीक थूकना, महाविद्यालय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना अशोभनीय है साथ ही पूर्णतया वर्जित भी है। दोषी विद्यार्थियों को इन कृत्यों हेतु दण्डित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. पुस्तकें प्राप्ति हेतु पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है, जिसके लिए प्रवेश की रसीद एवं परिचय-पत्र एक साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पुस्तकालय कार्ड के विनियमन से ही पुस्तकें दी जायेंगी। पुस्तकें जमाकर देने पर ही कार्ड वापस किया जायेगा।
3. पुस्तक लेने से पूर्व विद्यार्थी को पुस्तक का भली-भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए यदि पुस्तक ठीक स्थिति में नहीं है तो उसी समय पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें अन्यथा उन्हें स्वयं इसका उत्तरदायित्व वहन करना होगा।
4. निश्चित अवधि से अधिक समय तक पुस्तक रखने अथवा पुस्तक खो जाने पर नियमानुसार दण्ड एवं पुस्तक का मूल्य जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
5. विद्यार्थियों को पुस्तक स्वच्छ एवं सुरक्षित रखनी होगी, अन्यथा अर्थदण्ड देय होगा।
6. पुस्तक या पत्र / पत्रिकाओं को नष्ट करना अत्यन्त निन्दनीय कार्य है, जिसके लिए दोषी को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता हैं तथा अपराध की गुरूता के अनुसार उसकी पुस्तकालय सदस्यता भी निलम्बित अथवा समाप्त की जा सकती है।
7. विषय से सम्बन्धित पुस्तकें निर्धारित दिन के अनुसार ही निर्गत / वापिस की जा सकेंगी।
8. विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रवेश के समय देय शुल्क

स्नातक शुल्क

1.	शिक्षण शुल्क	132.00
2.	प्रवेश शुल्क	03.00
3.	प्रयोगशाला (गृह वि. एवं विज्ञान) (प्रति विषय वार्षिक)	240.00
4.	पुस्तकालय शुल्क	03.00
5.	विकास शुल्क	42.00
6.	पंखा शुल्क	12.00
7.	मंहगाई शुल्क	42.00
8.	क्रीड़ा शुल्क	200.00
9.	वाचनालय शुल्क	30.00
10.	पत्रिका शुल्क	50.00
11.	परिचय-पत्र शुल्क	20.00
12.	निर्धन-छात्र सहायता शुल्क	10.00
13.	विभागीय परिषद शुल्क	50.00
14.	सांस्कृतिक समारोह	50.00
15.	काशनमनी	10.00
16.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300.00
17.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1500.00
18.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क प्रयोगात्मक विषय	200.00
19.	विद्युत शुल्क	200.00
20.	इंसीडेन्टल/विविध व्यय दत्त कार्य आदि	50.00
21.	कम्प्यूटर शुल्क	50.00
	योग	**3194.00**
22.	शारीरिक शिक्षा (प्रयोगात्मक)	200.00

स्नातकोत्तर शुल्क

1.	शिक्षण शुल्क	180.00
2.	प्रवेश शुल्क	03.00
3.	पुस्तकालय शुल्क	03.00
4.	पंखा शुल्क	12.00
5.	विकास शुल्क	42.00
6.	महंगाई शुल्क	42.00
7.	क्रीड़ा शुल्क	200.00
8.	वाचनालय शुल्क	30.00
9.	पत्रिका शुल्क	50.00
10.	परिचय पत्र शुल्क	20.00
11.	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	10.00
12.	विभागीय परिषद शुल्क	50.00
13.	काशनमनी	10.00
14.	वि.वि. परीक्षा शुल्क	2000.00
15.	सांस्कृतिक / समारोह शुल्क	50.00
16.	विद्युत शुल्क	200.00
17.	मौखिक परीक्षा वि.वि. शुल्क (एस.ए. द्वितीय इतिहास, अर्थशास्त्र हिन्दी)	200.00
18.	इंसीडेन्टल/विविध व्यय दत्त	50.00
19.	एम.एस.सी. (गणित) मौखिक परीक्षा वि.वि. शुल्क (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष)	200.00
20.	एम.एस.सी. (भौतिक विज्ञान) मौखिक परीक्षा वि.वि. शुल्क (प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष)	200.00
21.	कम्प्यूटर शुल्क	50.00
	योग	**3602.00**

नोट-1. विश्वविद्यालय या शासन द्वारा शुल्क में यदि कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो अभ्यर्थी के द्वारा देय होगी, किन्तु एक बार जमा की गई शुल्क की वापसी नहीं होगी।

2. नामांकन शुल्क और कॉशनमनी केवल प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं से लिया जाएगा।

3. प्रवेश स्वीकृत होने पर समस्त शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा की खैर शाखा में ही छात्र-छात्राओं द्वारा महाविद्यालय से निर्गत जमा पर्ची भरकर जमा किया जाएगा। अन्य किसी शाखा में जमा करने पर छात्र-छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4. कक्षावार, श्रेणीवार तथा छात्र-छात्राओं के अलग-अलग देय शुल्क का विवरण कार्यालय/प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश के समय बैंक जमा पर्ची पर अंकित कर दिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

CH. JEEVAN SINGH MEMO.MAHAVIDYLYA SAROL

APPLICATION FORM FOR ADMISSION -2023-24

REG, NO / ROLL NO -

FORM FEES – 200/-

SR.N0-

Name of Class : ....

SUBJECT - 1.................................2.................................3 ....

Affix Recent Photograph

Category Code :	V	H

Caste :

V Category Code : Gen. 01 OBC : 02 SC: 03 ST : 04

H Category Code : Ward of Freedom Fighter- 05 Female Candidate: 06 Physically Handicapped: 07

Name of Applicant : (in capital letters only)

Father's Name :

Mother's Name :

Date of Birth : **Date :** **Month :** **Year :**

ADHAR CARD.N0 ....

Permanent Address: (Do not repeat name)

______________________ VILL-______________________

______________________ **Teh./City**______________________ **Distt.** ______________________

Pin Code :______________________ **State :** ______________________ **Mob. No.**______________________

Landline No. (+STD Code) ______________________ **E-mail :** ______________________

CLASS	ROLL NO.	BOARD/UNI.	PASSING YEAR	TOTAL MARKS	OBTAIN MARKS	DIV.	%
10TH							

Scanned with OKEN Scanner

महाविद्यालय में
स्थित पुस्तकालय

महाविद्यालय में
स्थित वातानुकूलित
सेमिनार हॉल

महाविद्यालय में
स्थित रसायन विज्ञान
की सुसज्जित प्रयोगशाला

महाविद्यालय में
स्थित व्यायामशाला

Scanned with OKEN Scanner

(Progress Comes From Proper Application of Knowledge)

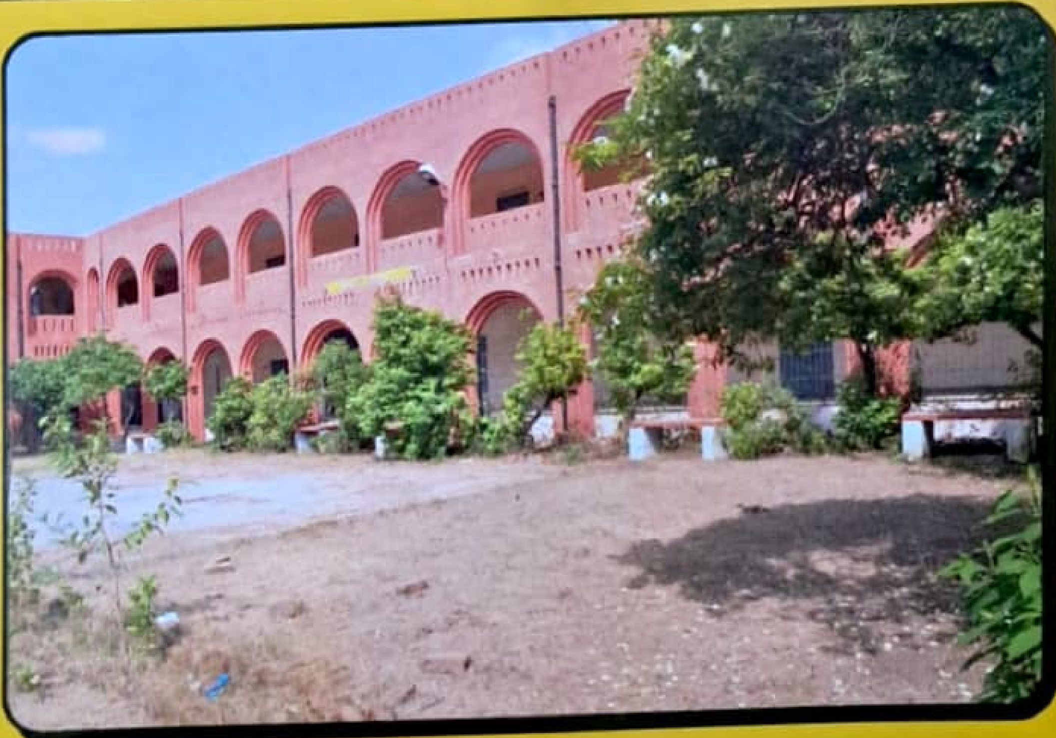

प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के सूचना पट एवं कॉलेज की बेबसाइट www.cjmm.org.in पर ही यथा समय प्रदर्शित की जायेंगी। सूचनाओं से पूरी तरह अवगत होना अभ्यर्थी की अपनी जिम्मेदारी होगी ।

प्राचार्य

Scanned with OKEN Scanner